Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान:— अलादिता बनाम रशीदा बेगम आदि

धारा :— 88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या:— 349 / 2019

[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
.2019	अभिभाषक वादी द्वारा वाद—पत्र पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21.10.2019 को पेश हो।	
.10/19	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की ओर से श्री अमरीकासिंह वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया वादी स्वयं व प्रतिवादी स्वयं 1 ता 5 उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ-पत्र पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.10.19 को पेश हो।	पहचानकर्ता सुरेन्द्र सिंह [illegible] मो. [illegible] मो. [illegible] पहचानकर्ता [illegible]
25-10-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया कर अवलोकन कार्यवाही स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया शामिल पत्रावली किया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड दफ्तर हो	

(कमील यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 349 / 2019

1 अलादिता पुत्र नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। — — वादी

–:: बनाम ::–

1 रशीदा बेगम पत्नी नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मूसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 मुमताज बेगम उर्फ हाजन पुत्री नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 मोहम्मद इकबाल पुत्र शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा पुत्री नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 मोहम्मद रवी उर्फ मोहम्मद खां पुत्र शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा पुत्री नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25.10.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 स्वयं के नाम व 3 व 4 की माता वाके चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 19 / 20 मे दर्ज 5.050 हैक्टर मे से 1 / 2 हिस्सा 2.530 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि व वाके चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 9 / 7 मे मुझ वादी व प्रतिवादीगण के नाम 0.970 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, नकल जमाबंदी वाके चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 19 / 20 व वाके चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 9 / 7 सम्वत 2072–75 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि वादी के पिता स्व. नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक के नाम थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन प्रतिवादीगण पर औद हुई चूंकि उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण मुझ वादी को बर्थ राईट हासिल है। चूंकि अब संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने अर्जीदावा की दफा–2 मे वर्णित पैतृक भूमि का घरू बंटवारा (परिवारिक समझौता) कर लिया है, हम वादी व प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा होने के पश्चात प्रतिवादीया संख्या 1 से 4 ने घरु बटवारा में प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के हक त्याग करने के बाद वादी अर्जीदावा की दफा–2 मे वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुसार अपने हक हिस्सा पर काबिज रहकर घरू बंटवारा के रोज से बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है जो आज भी मौका पर है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अभी तक भूमि प्रतिवादी सख्या 1 व 2 तथा 3 व 4 की माता के नाम दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने के अधिकारी है कि वाके चक 38 एन.

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 2

Scanned by CamScanner

जी.सी. खाता संख्या 19/20 मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 5.060 हैक्टर मे 1/2 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टर का व वाके चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 9/7 मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम व 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 0.970 हैक्टर भूमि वादी खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 का तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा का नाम कलमजन किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण से इस बाबत निवेदन किया कि उक्त भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर अपना नाम हटवा लेवे पहले तो वे टाल मटोल कर रहे बाद ने आज से 10 रोज पूर्व मुकाम ढालिया मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की माता शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा का देहान्त होने के कारण बतौर वारिसान उन्हे पक्षकार बनाया गया है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वाके चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 19/20 मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 5.060 हैक्टर में 1/2 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टर का व वाके चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 9/7 मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम व 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 0.970 हैक्टर भूमि वादी खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 का तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीह इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 23.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान के मध्य पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 स्वयं के नाम व 3 व 4 की माता वाके चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 19/20 मे दर्ज 5.060 हैक्टर मे से 1/2 हिस्सा 2.530 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि व वाके चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 9/7 मे मुझ वादी व प्रतिवादीगण के नाम 0.970 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि वादी के पिता स्व. नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन प्रतिवादीगण पर औद हुई चूंकि उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी को बर्थ राईट हांसिल है। चूंकि अब संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वर्णित पैतृक भूमि का घरू बंटवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है हम वादी व प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा होने के पश्चात प्रतिवादीया संख्या 1 से 4 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के हक त्याग करने के बाद वादी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुसार अपने हक हिस्सा पर काबिज बंटवारा के रोज

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 3

Scanned by CamScanner

से बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है जो आज भी मौका पर मुताबिक राजीनामा वाके चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 19/20 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 5.060 हैक्टर मे 1/2 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टर का व वाके चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 9/7 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम व 3 व 4 की माता क नाम दर्ज 0.970 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीया सख्या 1 व 2 का तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा का नाम कलमजन किया जावे तो हमे कोई आपति एतराज नही है।

लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38, 39, 40, 53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 19/20 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 5.060 हैक्टर में 1/2 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टर का व वाके चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 9/7 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम व 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 0.970 हैक्टर भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 का तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 349/2019

1 अलादिता पत्र नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। – – **वादी**

–:: बनाम ::–

1 रशीदा बेगम पत्नी नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मूसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 मुमताज बेगम उर्फ हाजन पुत्री नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 मोहम्मद इकबाल पुत्र शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा पुत्री नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 मोहम्मद रवी उर्फ मोहम्मद खां पुत्र शपेदा बेगम उर्फ रूबेदा पुत्री नियाज मोहम्मद उर्फ मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 25.10.2019

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिंहाग अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 25.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 19/20 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 5.060 हैक्टर में 1/2 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टर का व वाके चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 9/7 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम व 3 व 4 की माता के नाम दर्ज 0.970 हैक्टर भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 व 2 का तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की माता शपेदा वेगम उर्फ रूबेदा का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.29 15:33:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: